

संचिका सं० : 03/02-राज्य यो०(2)वि०सर्व०कर्म०(आरोप)खगड़िया-38/2022पटना, दिनांक : 08/01/2025

आदेश

बन्दोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 104-II दिनांक 10.04.2024 द्वारा श्री अधिश्वर चंचल (Emp.Id-AEN02090), विशेष सर्वेक्षण अमीन के विरुद्ध Whatsapp Group में अमर्यादित/अभद्र टिप्पणी करने एवं कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए सेवा समाप्ति का अनुशंसा की गयी है।

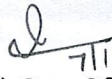
प्राप्त अनुशंसा के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 1934 दिनांक 25.04.2024 द्वारा श्री चंचल से स्पष्टीकरण की मांग की गई। मांगे गये स्पष्टीकरण के अनुपालन में श्री चंचल द्वारा स्पष्टीकरण प्रतिउत्तर समर्पित किया गया।

श्री चंचल से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं इनके विरुद्ध अनुशंसित आरोप के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 2358 दिनांक 03.06.2024 द्वारा बन्दोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया से मंतव्य की मांग की गयी।

बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में श्री चंचल के आरोप के संबंध में उल्लेख किया गया है कि इनके द्वारा लक्ष्य के अनुरूप सर्वेक्षण कार्य नहीं करने, वरीय पदाधिकारी की आदेश की अवहेलना करने, कार्य में लापरवाही बरतने तथा Whatsapp Group पर अभद्र टिप्पणी किया गया है, जो कि सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल होने का आरोप है।

बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप, आरोपित से प्राप्त स्पष्टीकरण तदुपरान्त बन्दोबस्त पदाधिकारी का मंतव्य के समीक्षोपरान्त आरोप प्रमाणित हो रहे हैं। साथ ही विशेष सर्वेक्षण जैसे संवेदनशील कार्य में इनके इस प्रकार के कृत्य से अनावश्यक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आरोपित द्वारा किये गये सर्वेक्षण कार्य के लापरवाही एवं अन्य आरोप से मुक्त किये जाने से अन्य सर्वेक्षण कर्मियों पर कुप्रभाव पड़ने के दृष्टिगत इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना उचित होगा।

अतः बन्दोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम 8(4)" के प्रावधानानुसार श्री अधिश्वर चंचल (Emp.Id-AEN02090), विशेष सर्वेक्षण अमीन का संविदा समाप्त किया जाता है।


(जे.प्रियदर्शिनी)
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय
ज्ञापांक : 03/02-राज्य यो०(2)वि०सर्व०कर्म०(आरोप)खगड़िया-38/2022पटना, दिनांक : 08/01/2025

प्रतिलिपि : श्री अधिश्वर चंचल (Emp.Id-AEN02090), विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय
ज्ञापांक : 03/02-राज्य यो०(2)वि०सर्व०कर्म०(आरोप)खगड़िया-38/2022पटना, दिनांक : 08/01/2025

प्रतिलिपि : बन्दोबस्त पदाधिकारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु०), खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय
ज्ञापांक : 03/02-राज्य यो०(2)वि०सर्व०कर्म०(आरोप)खगड़िया-38/2022पटना, दिनांक : 08/01/2025

प्रतिलिपि : श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय बिहार, पटना, को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि इसकी स्कैन कॉपी R2R साफ्टवेयर के अन्तर्गत संधारित उक्त कर्म का व्यक्तिगत संचिका में भी अपलोड करें।


निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण